उपायुक्त का कार्यालय
दक्षिण अंडमान जिला

जनजातीय पास जारी करना

प्रयोजन :– आदिवासियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियेां अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पास अनुलग्नक –I के अनुसार दिया जाता है ।

विधिक प्रावधान :– जनजातीय पास अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातीय की सुरक्षा विनियम, 1956 की धारा 7 के अनुसरण में तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत जारी किया जाता है । (अनुलग्नक –II)

किससे संपर्क करें :– जनजातीय पास अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उपायुक्त द्वारा इस संबंध में प्रपत्र 'क' में आवेदन पत्र दो प्रतियों में देना होता है जिसके साथ सहायक कागज़ात तथा आरक्षित क्षेत्र में जाने के प्रयोजन का औचित्य देना होता है । विदेशियों को पास गृह मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिश पर ही दिया जाता है ।

कैसे आवेदन करें :– पास प्राप्त करने के लिए प्रपत्र 'क' में आवेदन करें । (अनुलग्नक –III)

आवेदन के साथ लगाए जाने वाले कागज़ात

(क) <u>सुनामी पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के कार्य मे लगे व्यक्तियों के संबंध में</u>

(i) पास पोर्ट आकार का दो फोटो
(ii) पहचान/राष्ट्रीयता संबंधी साक्ष्य जिसमें शामिल है –
  (क) मददाता फोटो पहचान पत्र
  (ख) द्वीपवासी पहचान पत्र
  (ग) राशन कार्ड
  (घ) पासपोर्ट
  (ङ) स्थानीय प्रमाणपत्र
  (च) अन्य कोई भी कागज़ात जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो ।

(iii) संबंधित विभाग की सिफारिश प्रायोजकता/आरक्षित क्षेत्र में भेजे जाने के संबंध में सरकारी एजेन्सी का औचित्य ।
(iv) प्रायोजकता विभाग के जिम्मेदार अधिकारी /किसी भी विभाग के राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया चरित्र /पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र । ऐसा न होने पर इसे सत्यापन हेतु पुलिस विभाग को भेजा जाएगा ।

(ख) आम जनता

(i) जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में जाने के प्रयोजन का औचित्य ।

(ii) पहचान/राष्ट्रीयता संबंधी साक्ष्य जिसे प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित किया गया हो तथा जिसमें शामिल है –
(क) मददाता फोटो पहचान पत्र
(ख) द्वीपवासी पहचान पत्र
(ग) राशन कार्ड
(घ) पासपोर्ट
(ङ) स्थानीय प्रमाणपत्र
(च) अन्य कोई भी कागज़ात जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो ।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र । ऐसा न होने पर सत्यापन हेतु पुलिस विभाग को भेजा जाएगा ।

पास की अवधि : पास एक वर्ष या उसके भाग की अवधि तक दिया जा सकता है ।

जनजातीय पास कैसे जारी किया जाता है : जब सभी दस्तावेज़ों सहित प्रपत्र 'क' में आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उसकी पावती जारी की जाती है । संबंधित सहायक द्वारा मामले को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उपायुक्त के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाता है । अनुमोदन हो जाने पर आवेदक को चालान द्वारा रू.5/– जमा करना होता है । सभी शर्तों को पूरा करने पर प्रपत्र 'ख' में जनजातीय पास आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर जारी कर दिया जाता है । यदि चरित्र/पूर्ववृत्त सत्यापित न हो तो आवेदक का पूरा विवरण जैसे नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, पहचान चिन्ह, राष्ट्रीयता, रहने का पता/स्थायी पता आदि देना होता है ताकि जिला के पुलिस अधीक्षक से चरित्र पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जा सकें । उक्त वर्ग 'क' में दिए गए प्रयोजन के संबंध में शीघ्रता वाले मामलों में जनजातीय पास चरित्र/पूर्ववृत्त का सत्यापन लंबित होने पर भी जारी किया जा सकता है ।

जनजातीय पास का नवीकरण : उक्त विनियम की धारा 7 के अंतर्गत जारी पास उक्त विनियम के अंतर्गत बने नियमों की शर्त पर केवल एक और वर्ष तक के लिए नवीकृत किया जा सकता है ।

पास रखने वाला व्यक्ति अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उपायुक्त के समक्ष प्रपत्र 'घ' में आवेदन सहायक कागज़ातों के साथ कर सकता है । (अनुलग्नक –IV)